प्रेस विज्ञप्ति

06.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय, मैंगलोर उप आंचलिक कार्यालय ने 05.08.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत, ठग रोशन सलदान्हा और अन्य के मामले में मैंगलोर में 5 परिसरों की तलाशी ली।

प्रवर्तन निदेशालय ने रोशन सलदान्हा, श्रीमती डैफनी नीतू डिसूजा और अन्य के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इन एफआईआर में विभिन्न व्यापारियों से स्टांप शुल्क की आड़ में कम ब्याज दरों पर ऋण दिलाने और वादा किए गए ऋण न देकर उन्हें ठगने का आरोप है। मुख्य आरोपी रोशन सलदान्हा वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।

तलाशी अभियान के दौरान, डायरियों और दस्तावेजों के रूप में आपत्तिजनक साक्ष्य मिले और उन्हें जब्त कर लिया गया, जिससे पता चलता है कि रोशन सलदान्हा, श्रीमती डैफनी नीतू डिसूजा और अन्य आरोपियों ने स्टांप ड्यूटी की आड़ में विभिन्न व्यापारियों से ऋण दिलाने का वादा करके, नव निर्मित फर्जी संस्थाओं के माध्यम से लगभग 39 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाई। यह भी पता चला कि इस प्रकार जुटाई गई धनराशि का उपयोग आरोपियों ने बाद में अपने निजी और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया और फर्जी संस्थाओं का उपयोग करके धनराशि का एक बड़ा हिस्सा भी निकाल लिया गया।

तलाशी अभियान के दौरान, बैंक खातों के रूप में 3.75 करोड़ रुपये की शेष राशि वाली संपत्तियाँ फ्रीज़ कर दी गईं। इसके अलावा, जाँच के दौरान, यह पाया गया कि आरोपी रोशन सलदान्हा ने अपनी पत्नी श्रीमती डैफनी नीतू डिसूज़ा के नाम पर पाँच मछली पकड़ने वाली नावें खरीदने के लिए उनके द्वारा प्रबंधित फर्जी संस्थाओं से 5.75 करोड़ रुपये की आपराधिक आय का उपयोग किया था। उन मछली पकड़ने वाली नावों की पहचान कर उन्हें ज़ब्त/फ्रीज कर दिया गया है, जिससे तलाशी के दौरान ज़ब्त/फ्रीज की गई कुल राशि 9.5 करोड़ रुपये *(लगभग)* हो गई।

आगे की जाँच जारी है।